झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

तृतीय झारखण्ड विधान– सभा

त्रयोदश– सत्र

वर्ग– 01

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 05 फाल्गुन, 1935 [श0] / 24 फरवरी, 2014 [ई0] को

झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक–	विभागों को भेजी गई सां0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
ग्रामीण विकास में स्थानान्तरित 01–	का– 01	श्री अनन्त प्रताप देव	भवन को चालू करना	कार्मिक	14.02.2014
02– उत्तर सं०	ग– 02	श्री निर्भय कु0 शाहाबादी	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	गृह	14.02.2014
03– उत्तर सं०	टन– 01	श्री समरेश सिंह	पर्यटक स्थल घोषित करना।	पर्यटन	14.02.2014
04– उत्तर सं०	टन– 02	श्री जगरनाथ महतो	रोपवे का निर्माण	पर्यटन	14.02.2014
ग्रामीण विकास में स्थानान्तरित 05–	का– 02	श्री अनन्त प्रताप देव	भवन का निर्माण	कार्मिक	14.02.2014
06– उत्तर सं०	का– 03	श्री निर्भय कु0 शाहाबादी	प्रशाखा पदाधिकारी को स्थानान्तरित करना।	कार्मिक	14.02.2014
07– उत्तर सं०	का– 05	श्री समरेश सिंह	अनुमंडल घोषित करना।	कार्मिक	14.02.2014

(कृ0 पृ0 उ0)

01.	02.	03.	04.	05.	06
08– अतारां॰ ग– 01	श्रीमती सुधा चौधरी	थाना स्थापित करना।	गृह	14.02.2014	
09– अतारां॰ ग– 03	श्रीमती सुधा चौधरी	थाना प्रारंभ करना।	गृह	14.02.2014	

राँची,
दिनांक– 24 फरवरी, 2014 (ई0)।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक– झा0वि0स0(प्रश्न)–03 / 07..........419........../वि0स0, रांची, दिनांक– 17/2/14

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण / मुख्यमंत्री / अन्य मंत्रिगण / मुख्य सचिव तथा महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(छोटे लाल टुडू)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञापांक– झा0वि0स0(प्रश्न)–03 / 07..........419........../वि0स0, रांची, दिनांक– 17/2/14

प्रतिः– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय / प्रभारी सचिव महोदय एवं उप सचिव (प्रश्न) के संयुक्त सचिव, को सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

सुभाष

17.02.14

(2)

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.02.2014 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि ज्ञापांक– 192/राँची, दिनांक–17.01.2008 के आलोक में श्री सुधाकर शर्मा, तत्कालीन सहायक लोक अभियोजक (वेतनमान–6500 –10500), व्यवहार न्यायालय, देवघर को सहायक निदेशक (वेतनमान–10,000–10200), अभियोजन निदेशालय के पद पर पदस्थापित कर अब तक कार्यो का संचालन करवा रही है ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। राज्य बंटवारा के पश्चात एकीकृत बिहार राज्य के अभियोजन निदेशालय (मुख्यालय) से सहायक निदेशक का एक पद प्राप्त हुआ था। उक्त सहायक निदेशक के वेतनमान की जानकारी प्राप्त पत्र में नही है। ज्ञातव्य है कि एकीकृत बिहार राज्य में सहायक निदेशक के पद पर अभियोजन सेवा से पदस्थापन नही होता था, बल्कि पुलिस सेवा से पदस्थापन होता था। बिहार राज्य में बिहार प्रोजक्यूसन मैन्यूवल का गठन वर्ष 2003 में किया गया एवं उक्त पद पर सहायक लोक अभियोजन संवर्ग से पदस्थापन का प्रावधान किया गया था। इसी क्रम में सर्व प्रथम विधि विभाग द्वारा झारखण्ड राज्य में अभियोजन निदेशालय में सहायक निदेशक के पद पर श्री बच्चन प्रसाद श्रीवास्तव को पदस्थापित किया गया। इनके सेवा निवृति के पश्चात् श्री सुधाकर शर्मा, तत्कालिन सहायक लोक अभियोजन, देवघर को राज्य सरकार द्वारा सहायक निदेशक के पद पर पदस्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि उस समय झारखण्ड राज्य में अभियोजन निदेशालय का गठन नही हुआ था, परन्तु अभियोजन निदेशालय के कार्यो को सुचारू रूप से चलाने हेतु कार्य हित में सहायक निदेशक के पद पर उक्त पदस्थापन राज्य सरकार द्वारा किये गये थे। पदस्थापन के पश्चात् भी इन्हें सहायक लोक अभियोजक का ही वेतनमान दिया जाता रहा। उल्लेखनीय है कि झारखण्ड अभियोजन निदेशालय का गठन अधिसूचना सं०–1492, दिनांक–09.04.2008 द्वारा किया गया है। जबकि श्री शर्मा दिनांक–08.02.2008 से उक्त पद पर पदस्थापित/कार्यरत है।
2	क्या यह बात सही है कि किसी भी अन्य सेवा संवर्ग के कनीय संवर्ग व वेतनमान के पदधारी को किसी भी स्थिति में वरीय संवर्ग व वेतनमान के पद पर पदस्थापित करना विधि सम्मत नही है ;	कंडिका 1 के उत्तर से स्पष्ट है कि उक्त पदस्थापन राज्य सरकार द्वारा कार्यहित में किया गया था।
3	क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग के ज्ञापांक–150, दिनांक–05.06.2012 के आलोक में वेतन का लाभ दी जा रही है जो घोर वितीय अनियमितता है ;	कंडिका 1 के आलोक में वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग के पत्रांक–1501, दिनांक–05.07.2012 द्वारा निर्गत वेतन पूर्जा वित्तीय अनियमितता नही है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड (i) में वर्णित निदेशक को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए सभी संलिप्त दोषी पदाधिकारियों पर विधि सम्मत कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	कंडिका 1, 2 एवं 3 के उत्तर के आलोक में किसी भी प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता नही है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–6/वि०स०–04/02/2014 1090 / राँची, दिनांक–23/2/2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 23.2.14
सरकार के उप सचिव।

(3)

श्री समरेश सिंह, स०वि०स०, द्वारा दिनांक – 24.02.2014 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या – टन 01 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत मुनीडीह क्षेत्र के अन्तर्गत भटिण्डा फॉल एक अत्यंत ही प्राकृतिक मनोरम स्थल है ;	1.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का आनाजाना लगा रहता है ;	2.	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त स्थल को सरकार के स्तर से कोई भी विकास नहीं किया गया है ;	3.	वस्तुस्थिति यह है कि भटिण्डा फॉल के विकास हेतु बी०आर०जी०एफ० योजनान्तर्गत 24.90 लाख की लागत से भटिण्डा फॉल का सौन्दर्यीकरण (विश्राम शेड 2 /वाशिंग प्लेटफारम /चेंज रूम /पी०सी०सी० पार्किंग /फलावर पॉट/चिल्ड्रेन पार्क) का कार्य कराया गया है इसके अतिरिक्त पर्यटन मद से 17.00 लाख रूपये की लागत से शेड –2 अदद्, फलावर पॉट, बेंच, पी०सी०सी० प्लेटफारम, चबुतरा एवं पर्यटक स्थलों के रख–रखाव, साफ–सफाई, सुरक्षा एवं रंगाई पोताई का कार्य कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के द्वारा किया जा रहा है।
4.	यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भटिण्डा फॉल को विकसित कर पर्यटक स्थल घोषित करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	4.	पर्यटन विभाग किसी भी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित नहीं करता है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/09/2014 313 /राँची, दिनांक 19.02.2014 /

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 170/वि०स०, दिनांक 14/02/2014 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/2/14

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

(64)

श्री जगरनाथ महतो, स०वि०स०, द्वारा दिनांक – 24.02.2014 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या – टन 02 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत पारसनाथ जैनियों का प्रमुख धार्मिक स्थल है और यहाँ पुरे भारतवर्ष से जैन लोग आते है ;	1.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि निमियाघाट से पारसनाथ पहाड़ के चोटी तक रोप–वे का निर्माण होने से लोगों को काफी सुविधा होगी एवं राज्य को राजस्व में वृद्धि होगी ;	2.	वस्तुस्थिति यह है कि भू–तल से उपर मंदिर तक जाने के लिये सीढ़ी बनी हुई है तथा श्रद्धालुओं को डोली से भी ले जाया जाता है। उप विकास आयुक्त, गिरिडीह के प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नाधीन स्थल वन–भूमि है। साथ ही डोली ढोने वाले मजदूर संगठन द्वारा आपत्ति उठाने की संभावना भी व्यक्त की गई है। अतः यह योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।
3.	यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निमियाघाट से पारसनाथ पहाड़ के चोटी तक रोप–वे का निर्माण कराने काविचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	उपर्युक्त कंडिका (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/08/2014 312 /राँची, दिनांक 19.02.2014 /

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 169/वि०स०, दिनांक 14/02/2014 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/2/14

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

66

श्री निर्भय कुमार शाहबादी, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न

संख्या – का- 03, क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

क्र० सं०	*प्रश्न*	*उत्तर*
1	*2*	*3*
1	क्या यह बात सही है कि श्री प्रमोद कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, गृह विभाग में पदस्थापित है, जो सचिवालय सहायक संवर्ग श्रेणी से हैं।	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड – 1 में वर्णित पदाधिकारी एकीकृत बिहार से ही गृह विभाग में पदस्थापित हैं।	स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य गठन के पश्चात सभी विभागों में 06 (छः) वर्षो से अधिक कालावधि के सभी सहायकों एवं प्रशाखा पदाधिकारियों का स्थानांतरण की गई है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 606 दिनांक 15.09.1997 की कंडिका – 2 में एक विभाग के अधीन सहायकों का कार्यकाल 10 वर्ष निर्धारित है। उक्त के आलोक में अधिकांश सहायकों एवं प्रशाखा पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया जा चुका है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड – 1 में वर्णित प्रशाखा पदाधिकारी को स्थानांतरित करने का विचार रखती है हॉं, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	श्री प्रमोद कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, गृह विभाग का स्थानांतरण अधिसूचना संख्या 1558 दिनांक 19.02.2014 से सहकारिता विभाग में कर दिया गया है।

झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक :– 7/संसदीय कार्य–903/2014 का.1672/ रांची, दिनांक 20 फरवरी, 2014

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप संख्या 178 दिनांक 14.02.2014 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/2/2014

(योगेन्द्र दूबे)
सरकार के अवर सचिव।

07

माननीय स०वि०स० श्री समरेश सिंह द्वारा दिनांक 24.02.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का–05 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है बोकारो जिला के जैनामोड़ एवं धनबाद जिला के निरसा को अनुमंडल बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;	(क) बोकारो जिलान्तर्गत जैनामोड़ को अनुमंडल बनाने के प्रस्ताव पर उपायुक्त, बोकारो का प्रतिवेदन प्राप्त है। (ख) धनबाद जिलान्तर्गत निरसा को अनुमंडल बनाने के प्रस्ताव पर उपायुक्त, धनबाद का प्रतिवेदन अप्राप्त है।
2.	क्या यह बात सही है कि जैनामोड़ एवं निरसा अनुमंडल निर्माण हेतु सारी अर्हत्ताऐं पूरा करती है;	(क) बोकारो जिलान्तर्गत जैनामोड़ को अनुमंडल बनाने का प्रस्ताव प्रशासनिक इकाईयों के पुर्नगठन के संबंध में गठित उच्चस्तरीय समिति की आगामी बैठक में विचारार्थ रखने हेतु सरकार के द्वारा निर्णय लिया जायेगा। (ख) धनबाद जिलान्तर्गत निरसा को अनुमंडल बनाने के प्रस्ताव पर उपायुक्त, धनबाद का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रशासनिक इकाईयों के पुर्नगठन के संबंध में गठित उच्चस्तरीय समिति की आगामी बैठक में विचारार्थ रखने हेतु सरकार के द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
3.	क्या यह बात भी सही है कि प्रशासनिक एवं विकास के दृष्टिकोण से इन्हें अनुमंडल बनाना अति आवश्यक है;	प्रशासनिक इकाईयों के पुर्नगठन के संबंध में गठित उच्चस्तरीय समिति के द्वारा इस बिन्दु पर निर्णय लिया जायेगा।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जैनामोड़ एवं निरसा को अनुमंडल घोषित करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं?	इस संबंध में प्रशासनिक इकाईयों के पुर्नगठन के संबंध में गठित उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर प्रशासनिक व्यवहारिकता एवं अन्य वैधानिक बिन्दुओं के परीक्षण हो जाने के उपरांत ही राज्य सरकार के द्वारा इस पर निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–8/2014 का०–1697/राँची, दिनांक– 21/2/2014

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–180, दिनांक 14.02.2014 के प्रसंग में 200 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/14.

(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

श्रीमती सुधा चौधरी, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.02.2014 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत अनुमण्डल मुख्यालय छत्तरपुर में महिला थाना नही है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त अनुमण्डल जिला मुख्यालय मेदिनीनगर से 50 कि०मी० की दूरी पर स्थित है तथा उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त अनुमण्डल का ग्रामीण इलाका पिछड़ा है तथा महिलाओं में शिक्षा के अभाव के कारण महिला प्रताड़ना की घटनाऍं प्रायः घटती रहती है, हाल के दिनों में लड़कियों के अपहरण की घटनाऍं भी बढ़ी है ;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार छत्तरपुर में महिला थाना स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	सरकार द्वारा राज्य के जिलों में नगर थाना को महिला थाना के रूप में भी अधिसूचित किया गया है। वैसे महिला प्रताड़ना का केस राज्य के किसी भी थाने में दर्ज किया जाता है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–07 / 2014 1773 / राँची, दिनांक–23/02/2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.2

सरकार के उप सचिव।

(69)

श्रीमती सुधा चौधरी, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.02.2014 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–03 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत प्रखण्ड–पाटन का नावाजयपुर सहित आस–पास का क्षेत्र उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि नावाजयपुर में थाना की स्वीकृति हो जाने के बावजूद कार्य प्रारंभ नही हो सका है और उपर्युक्त स्थल पर स्थापित पुलिस पिकेट से ही कार्य चलाया जा रहा है ;	नावाजयपुर में थाना खोलने की स्वीकृति/अधिसूचना हो गई है, भुमि का चयन हो चुका है। मुआवजा की 10 प्रतिशत राशि की स्वीकृति मिल चुकी है, राशि उपलब्ध होते ही भूमि अधिग्रहण कर थाना भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अभी विधि –व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाये रखने हेतु पिकेट स्थापित है।
3	क्या यह बात सही है कि थाना के अभाव में नावाजयपुर क्षेत्र की जनता को सूदुर ग्रामीण क्षेत्र से 30 कि०मी० की दूरी तय कर समस्याओं के निदान हेतु पाटन थाना आना पड़ता है ;	कुछ मामलों को छोड़कर अधिकाधिक मामलों को पिकेट स्तर से निष्पादित करने का प्रयास किया जाता है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार थाना को प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	थाना भवन निर्माण होते ही थाना प्रारंभ कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–09/2014-1769/ राँची, दिनांक–23/02/2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.2.14
सरकार के उप सचिव।